

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी नावली, उदयपुर

प्रार्थी रुपा विपक्षी रुमाई
 किसम मुकदमा 212/25/2019 पत्रावली संख्या 92/22 सन _____

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p><u>27/02/25</u> पत्रावली मूल वाद न लंबा करवाये से मूल वाद के साथ पैदा हुई। आदि. उलभ पक्ष. अ.सं. 6, 8 का जवाब पेशा हुआ। उ.सं. 7 का जवाब उ.सं. 1005, 9 द्वारा उलभ जवाब कामाने जाने का निवेदन किया। पत्रावली वास्तविक दिनांक <u>19/03/25</u> को पेशा है।</p>	
	<p><u>19/03/25</u> पत्रावली पैदा हुई। आदि. उलभ पक्ष. 34.1 आदि. उलभ पक्षकारान की वक्ष अक्ष-धार निवेधाना पर सुनी गई। आदि. उलभ पक्षकारान द्वारा निवेदन किया की उलभ में मूल वाद में आज आरंभिक डिमी जारी कर दी गई। मूल वाद में अंतिम डिमी जारी होने तक उलभ पक्षों को मी के की प्रथा स्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाना है। उलभ पक्षों को कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पक्ष आंशिक स्वीकार किया जाकर मीला में उल पक्षार हक में उ.सं. नदवील मावली की आरंभिक नम्बर 125 वकला 0.8622 हैक्टर, आ. न. 120 वकला 0.5908 हैक्टर एवं आरंभिक नम्बर 117, 204 से 206, 221/3/108, 2215/111, 441 से 446, 448, 449 किता-16 कुल वकला 3.3590 हैक्टर मी की उलभ पक्ष मी के की प्रथा स्थिति मूल वाद में अंतिम डिमी जारी होने तक बनाए रखी हुई है। प्रार्थी के मी के की प्रथा स्थिति हथर लगी है। पक्षकारान के मूल वाद को कर नम्बर से निलंबित करे र जला सु सुनीया गया।</p>	



19/3/25
 सहायक कलक्टर
 (फास्ट ट्रेक) नावली